राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/33001 – 33050 दिनांक 01/05/18

आयुक्त,
नगर निगम/परिषद्,
अजमेर/उदयपुर, किशनगढ़/बांसवाड़ा/चुरू
/हनुमानगढ़/जालौर/झालावाड़/झुंझुनु/सिरोही/टोंक

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
कुशलगढ़/तारानगर/पीलीबंगा/भीनमाल/झालरापाटन
/खेतड़ी/छोटी सादड़ी/आबूरोड़/देवली

विषयः–मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) प्रथम चरण में शहरी वनीकरण के अंतर्गत अवशेष राशि वन विभाग को हस्तांतरित करने बाबत्।

संदर्भः–अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षण (भू–संरक्षण), राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ5(23)/एमजेएसए/अप्रमुवसं/भूसं/2017–18/461 दिनांक 12.3.2018

संदर्भित विषय के क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षण (भू–संरक्षण), राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) प्रथम चरण में शहरी वनीकरण के अंतर्गत निम्न जिलों में निम्नानुसार राशि लंबित है:–

S. N.	District	Amount (Rs. in lacs)
1	Ajmer	31.79
2	Banswara	35.52
3	Churu	10.90
4	Hanumangarh	23.16
5	Jalore	30.16
6	Jhalawar	48.40
7	Jhunjhunu	50.44
8	Pratapgarh	22.00
9	Sirohi	18.09
10	Tonk	31.51
11	Udaipur	46.97
Total		**348.94**

राशि वन विभाग को उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रथम चरण में लगाये गये पेड़ों का रख–रखाव एवं संधारण नहीं हो पा रहा है। यही नहीं बकाया राशि समय रहते वन विभाग को उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रस्तावित शहरी वनीकरण का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आप द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों से ज्ञात हुआ है कि उपलब्ध करायी गयी राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है और नगरीय निकायों के पास राशि अवशेष है। अतः तीन दिवस के अंदर–अंदर वांछित राशि संबंधित जिले के वन विभाग को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। विलम्ब की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

P.T.O

क्रमांकः एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/ 33001 - 33050 दिनांकः– 01/05/18

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, विभाग।
3. संभागीय आयुक्त, अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–संरक्षण), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि पत्र में वर्णित 11 जिलों की नगरवार बकाया राशि का विवरण नगरीय निकायों को उपलब्ध कराने का श्रम करें, ताकि राशि हस्तांतरण अविलंब हो सके।
5. जिला कलक्टर, अजमेर, बांसवाड़ा, चुरू, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।
6. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि नगरीय निकाय से वन विभाग को राशि हस्तांतरित करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग।
8. प्रोग्रामर, आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाइट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता